पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0:—429/2025

1 राजपाल पुत्र श्री रूपराम जाति जाट निवासी वार्ड नं0 9, नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. विमलादेवी पत्नी राजपाल जाति जाट निवासी वार्ड नं0 9, नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. धीरज पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी वार्ड नं0 9, नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. प्रवीण पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी वार्ड नं0 9, नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

डिक्री दिनांक 17/3/26

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अंकित सिडाना व प्रतिवादी वकील सुभाष पारीक अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:— चक 4 एन. जी. आर. जमाबंदी सम्वत् 2075—78 खाता संख्या 85/72 में प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 के नाम से दर्ज आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक न0 4 एनजीआर के खाता स0 85/72 में प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/3/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।